निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा आस्थापित

प्रकरण सं.:- 128/2014 दावा
दायरा दिनांक :- 19.8.2014
निर्णय दिनांक :- 25-7-22

उनवान

भरत कुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां जिला बारां

बनाम

1- दीपक पुत्र नंदकिशोर जाति मेघवाल
2. अनिल पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल
3. लहरीबाई पत्नी भैरूलाल जाति मेघवाल (मृतक)
3/1 रामगोपाल पुत्र भैरूलाल
3/2 मनोहर पुत्र भैरूलाल
3/3 रामप्यारी पत्नी भैरूलाल जाति मेघवाल निवासी पानी की टंकी के पास नलका रोड मेण्डा शोरूम के सामने काय रोड बारां

वाद पत्र धारा 183,188 RTA

निर्णय दिनांक :- 25-7-22

उपस्थित अभिभाषक :- 1- श्री ओमप्रकाश मेहता II - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के [illegible] आशय पेश किया गया कि उक्त नलका की आराजी [illegible] 0.67 हे. खसरा नं. 352 रकबा 1.01 हे. कुल किता 2 रकबा 1.68 हे. में से खसरा नं. 351 रकबा 0.67

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

हे. को वाद पत्र के निकटतम आराजीयात के नाम सम्बोधित किया गया है वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. में प्रति वादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है तथा वादी के मना करने पर प्रति वादीगण गाली गलौच करने पर आमादा रहते है तथा प्रति वादीगण धारा 3 का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देते है वादी स्वर्ण जाति का होने के कारण प्रति वादीगण अनु० जाति के होने के कारण फायदा उठाकर वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. पे कब्जा करने पर आमादा है अगर प्रति वादीगण वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजीयात पे कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी इस कारण वादी अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. में प्रति वादीगण द्वारा जबरन किये गये कब्जे को व निर्माण को हटवाकर कब्जा प्राप्त करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं मालिक है वादी द्वारा जबरन कब्जा करने एवं निर्माण करने की शिकायत थाना कोत० बारां में की गई जिस पर थाना कोतवाली बारां द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस पर वादी द्वारा एक इस्तगासा न्याया. मुख्य न्यायिक मजि० बारां में दिनांक 30.7.2014 को पेश किया गया जिस पर न्याया. द्वारा दिनांक 31-7-2014 को इस्तगासे को 156(3) CrPC में थाना कोत० बारां को भिजवाया गया जिस पर थाना कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक - दिनांक - को दर्ज की गई फिर भी प्रति वादीगण वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है इसलिए उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने तथा कब्जा किये गये व निर्माण किये गये स्थान से प्रति वादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी एवं मालिक है वादी विकलांग है तथा प्रति वादीगण लड़ाकू प्रवृति के व्यक्ति है वादी शान्ति प्रिय नागरिक है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता तथा वादी के द्वारा प्रति वादीगण से कब्जा व क[illegible] कब्जे पर धारा 3 के झूठे मुकदमे में फंसा देने की धम[illegible] आदि तथा दि दिनांक 25.7.2014 को कब्जा करने की [illegible] दिये जाने पर वादी द्वारा कोतवाली में शिकायत की गई जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने

लगातार-3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पर 30.7.2014 को मुख्य न्यायिक मजि. महो. बारां से स्थगनादेश प्रस्तुत करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजि. कर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी गण बावजूद इत्तला के न्याया. में उप. नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नलका संवत 2067-70 खाता सं 119, नकल नक्शा ट्रेस सन 1978, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम नलका, नकल पैमाईश रिपोर्ट 14.6.2014 पेश की गयी, साक्ष्य वादी में मदन कुमार का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नलका, तह. बारां में स्थित है जो वादी के खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी गण द्वारा ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है प्रति वादी द्वारा वादी की भूमि से कब्जा नहीं हटाया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रति वादी गण को वादी की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मदन कुमार नलका संवत 2067-70 खाता सं. 119 के अनुसार मदन कुमार पुत्र भगवान लाल खातेदारी से दर्ज है नकल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 14.6.14 के अनुसार ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. का सीमा ज्ञान करवाया गया प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं हल्का पटवारी की पैमाईश रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है [illegible] पर प्रतिवादी गण का कब्जा होने से [illegible] कर वादी को कब्जा दिलाये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है पैमाईश रिपोर्ट से यह स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नहीं बताया कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी अब कब्जा कर रखा है परन्तु वादी अब प्रतिवादी का ख.नं. 351 की भूमि पर कब्जा होना बताया है वादी की भूमि की पैमाइश टीम गठित करावे एवं वादी की भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का होना पाया जाता है तो प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तह. बारां के ख.नं. 351 रकबा 0.67 हे. भूमि की टीम गठित कर पैमाइश करावे एवं बाद पैमाइश वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के काश्त एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्याया. सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा) RAS

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

## डिक्री

| ...संख्या 128/14 | धारा अंतर्गत 183,188 RTA | निर्णय दिनांक 25-7-22 |
|---|---|---|
| ...: श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां | | |
| उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओमप्रकाश मेहता II | | अभिभाषक प्रतिवादी |

## वाद शीर्षक

मदनकुमार पुत्र भगवानलाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां

बनाम

1. दीपक पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल
2. अनिल पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल
3. लडूरीबाई पत्नी भैरूलाल जाति मेघवाल (मृतक)

3/1 रामगोपाल पुत्र भैरूलाल

3/2 मनोहर पुत्र भैरूलाल

3/3 रामप्यारी पत्नी प्रहलाद जाति मेघवाल निवासी पानी की टंकी के पास नलका रोड होण्डा शोरूम के सामने कोटा रोड बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नलका तह. बारां के ख.नं. 351 रकबा 0.67 है० प्रति की टीम गठित कर पैमाइश करते एक बार पैमाइश वादी की भूमि पर प्रति वादी का कब्जा पाया जाता हो तो प्रति वादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है प्रति वादी गण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार .................... रु0 का व्ययानुतोष .................... द्वारा .................... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25-7-22 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

## व्ययानुतोष

| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 2 | अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 3 | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 4 | प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |

Scanned with CamScanner